क्रम-संख्या 43(क)

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू/एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

इलाहाबाद, सोमवार, 7 जनवरी, 2013 ई०
(पौष 17, 1934 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

संख्या उ०प्र०वि०नि०आ०/सचिव/विनियमावली/2012-1502

लखनऊ : दिनांक 7 जनवरी, 2013 ई०

विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा ऐसा करने के लिये प्राप्त अन्य सभी समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्न विनियमावली बनाते हैं–

1–संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ :

1.1 यह विनियमावली 'उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (सम्प्रेक्षा अनुपालन) विनियमावली, 2012' कहलाएगी।

1.2 यह विनियमावली सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत लागू होगी।

1.3 यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2–परिभाषाएँ :

2.1 इस विनियमावली में, जब तक प्रसंग की आवश्यकता अन्यथा न हो :

(अ) अधिनियम का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) से है।

(ब) "विनियमित संस्था" का तात्पर्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कम्पनी अथवा राज्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अथवा राज्य लोड डेस्पैच केन्द्र से है।

2.2 प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जो इस विनियमावली में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनका अभिप्राय वही होगा जो अधिनियम में दिया गया है। यहाँ प्रयुक्त अभिव्यक्तियाँ जो इस विनियमावली अथवा अधिनियम में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गयी हैं, किन्तु सक्षम विधायी द्वारा पारित किसी विधि जो राज्य में विद्युत उद्योग पर लागू हो, के अन्तर्गत परिभाषित हैं, उनका वही तात्पर्य होगा जो ऐसी विधि में प्रयुक्त अभिव्यक्ति में समनुदेशित है, किन्तु जो इस विनियमावली में या अधिनियम अथवा सक्षम विधायी द्वारा पारित किसी विधि के अन्तर्गत विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, उनका तात्पर्य वही होगा जैसा कि विद्युत उद्योग में उन्हें सामान्य रूप से समनुदेशित किया गया है।

2.3 विनियम मूलतः अंग्रेजी संस्करण से हिन्दी भाषा में परिवर्तित किया जायेगा, किसी शाब्दिक अर्थ के अन्तर की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

3—सम्प्रेक्षा अनुपालन :

3.1 आयोग किसी भी समय उनके द्वारा अधिनियम, नियमों तथा उनके अन्तर्गत आयोग द्वारा बनायी गयी विनियमावली एवं निर्गत आदेशों एवं निर्देशों के अनुपालन के सत्यापन के लिये नियंत्रित संस्था की सम्प्रेक्षा कर सकता है।

3.2 आयोग इन कार्यों के निर्वहन में आयोग के सहयोग के लिये आवश्यकतानुसार परामर्शदाताओं/सम्प्रेक्षकों को ऐसे नियमों एवं शर्तों पर जैसा उचित समझे, आदेश द्वारा सूचीबद्ध कर सकता है।

3.3 आयोग सम्प्रेक्षा कार्य हेतु सूचीबद्ध परामर्शी/सम्प्रेक्षकों को नियुक्त कर सकता है अथवा किसी विशेष आवश्यकता के लिये, यदि आवश्यक हो, नये चयन की प्रक्रिया के माध्यम से सूचीबद्ध कर सकता है।

3.4 आयोग, अपवाद के प्रकरणों में, जहाँ उचित समझा जाय, परामर्शी/सम्प्रेक्षकों के चयन के लिये एकल स्रोत के आधार पर भी विचार कर सकता है।

3.5 आयोग, सम्प्रेक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विचारार्थ विषय का ढाँचा तैयार करेगा, जिसमें परामर्शी/सम्प्रेक्षकों द्वारा कार्य के सन्दर्भ में समयावधि, जिसके अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना है एवं कार्यों से सम्बंधित लागू अन्य शर्तों का विवरण उपलब्ध कराया जाना विशिष्ट रूप से सम्मिलित होगा।

3.6 आयोग, नियंत्रित संस्था की सम्प्रेक्षा प्रारम्भ करने के पूर्व द्वारा निर्धारित विचारार्थ विषयों पर आधारित सम्प्रेक्षा का विशिष्टि कार्य आदेश द्वारा परामर्शी/सम्प्रेक्षकों को सौंप सकता है।

4—परामर्शी/सम्प्रेक्षकों की आवश्यकता :

परामर्शी/सम्प्रेक्षक व्यवसायिक, उद्देश्यपूर्ण तथा निष्पक्ष सलाह देंगे और हर समय बिना किसी भावी कार्य के विचार से आयोग के सर्वोच्च हितों को ध्यान में रखेंगे और परामर्श देने में वे अन्य कार्यों तथा अपने स्वयं के निगम के हितों के विरोधी होने से बचेंगे। परामर्शी/सम्प्रेक्षक को किन्हीं ऐसे कार्यों के लिये जो उन्हें सौंपे गये कार्यों के पूर्व अथवा वर्तमान में दायित्व के विरोध में होंगे, अथवा उन्हें ऐसी स्थिति में पहुँचा दें कि आयोग के सर्वोच्च हित में कार्य सम्पादन के लिये असमर्थ हो जायें, नियुक्त नहीं किये जायेंगे। परामर्शी/सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति पूर्वगामी व्यापकता की सीमा को ध्यान में रखे बिना निम्न परिस्थितियों के अनुसार की जायेगी—

(i) विशिष्ट सम्प्रेक्षा के लिये नियुक्त परामर्शी अथवा सम्प्रेक्षक की आयोग द्वारा नियुक्ति के पूर्व की दो (2) वर्षों की अवधि के दौरान नियंत्रित संस्था के कार्यालय में नियुक्ति अथवा उसमें वाणिज्यिक या अन्य किसी प्रकार का हित नहीं होना चाहिये।

(ii) सम्प्रेक्षा कार्य के दौरान परामर्शी अथवा सम्प्रेक्षक से अपेक्षा होगी कि वह कार्य ईमानदारी से, अच्छे तरीके से, व्यवसायिक तथा स्वतंत्र रूप से एवं उद्देश्य पूर्ण तरीके से करे तथा एक कुशल व्यक्ति से जैसी दक्षतापूर्ण मानदण्डों, सावधानी एवं परिश्रम की अपेक्षा हो, जिसे चाहिये जो ऐसी सेवा का पर्याप्त अनुभव हो, जो सम्प्रेक्षक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं जैसी या समान हो।

(iii) चयनित परामर्शी अथवा सम्प्रेक्षक के लिए यह आवश्यक होगा कि आयोग को लिखित कथन प्रस्तुत करें कि इस विनियमावली के अन्तर्गत उसको सौंपे गये कार्यों एवं कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान उसके हित लाभों का कोई विवाद नहीं है और न ही सम्प्रेक्षक द्वारा सम्पन्न किये जा रहे किसी अन्य कार्य की प्रकृति के विरोध में है।

(iv) विशिष्ट कार्य की आवश्यकता के आधार पर आयोग परामर्शी/सम्प्रेक्षक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर सकता है। यदि सम्बंधित कार्य वित्तीय प्रकृति के हैं तो परामर्शी/सम्प्रेक्षक, जो फर्म अथवा व्यक्ति हो सकता है, की शैक्षिक योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस/आई0सी0डब्लू0ए0/एम0बी0ए0 (वित्त) होना चाहिए। यदि कार्य विधि सम्बन्धी है तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एल0एल0बी0 होनी चाहिए अथवा किसी विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इन्जीनियरिंग में स्नातक निर्दिष्ट की जा सकती है। सभी मामलो में सम्बंधित क्षेत्रों में न्यूनतम 10 वर्षो का अनुभव आवश्यक होगा।

(v) उ0प्र0वि0नि0आ0 (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियमावली, 2000 एवं इसके संशोधनों के अनुसार आयोग द्वारा परामर्शी/सम्प्रेक्षक को देय पारिश्रमिक/शुल्क निर्दिष्ट किया जा सकता है।

5–व्यय :

(i) इस विनियमावली के अन्तर्गत की गयी सम्प्रेक्षा से सम्बधित तथा उसके फलस्वरूप समस्त व्ययों का भुगतान आयोग द्वारा किया जायेगा एवं उसके पश्चात, एक माह के अन्दर नियंत्रित संस्था द्वारा ऐसे व्यय आयोग को भुगतान किये जायेंगे।

(ii) नियंत्रित संस्था को निम्नानुसार कथित व्ययों का दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी:–

(अ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य पारेषण संस्था या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी कथित व्ययों का दावा सकल राजस्व आवश्यकता विवरण में विद्युत् दर के रूप में कर सकते हैं।

(ब) उत्पादन कम्पनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (जो वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्तुत नहीं करते हैं) कथित व्ययों का दावा प्रशुल्क निर्धारण/अंगीकार करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुति के समय कर सकते हैं।

(स) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी कथित व्ययों का दावा आयोग की अनुमति से व्यापारिक उपांत समायोजन में वृद्धि के रूप में कर सकता है ; तथा

(द) राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र कथित व्ययों का दावा अपने वार्षिक बजट अनुमोदन में विद्युत् प्रभार के रूप में कर सकतें हैं।

6–**कार्य प्रणाली** :

6.1 परामर्शी/सम्प्रेक्षक किसी समय आयोग द्वारा निर्देश दिये जाने पर किसी नियंत्रित संस्था एवं उसकी लेखा पुस्तिकाओं, रजिस्टरों तथा अन्य अभिलेखों का जो उनकी अभिरक्षा में हैं, का निरीक्षण, उसके एक या अधिक अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है तथा नियंत्रित संस्था के कार्य-कलापों की जाँच-पड़ताल इस प्रकार से करवा सकते हैं जैसा आयोग द्वारा उचित समझा जाय :

बशर्ते कि नियंत्रित संस्था को इस प्रकार के निरीक्षण तथा/या जाँच-पड़ताल की अग्रिम सूचना लिखित रूप में कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

6.2 प्रत्येक नियंत्रित संस्था का यह कर्तव्य होगा कि ऐसी सभी लेखा पुस्तिकाओं, रजिस्टरों तथा अन्य अभिलेखों को परामर्शी/सम्प्रेक्षक को उपलब्ध कराये तथा उन्हें नियंत्रित संस्था के क्रिया-कलापों से सम्बंधित कोई विवरण एवं सूचना जैसा कि उससे कथित परामर्शी/सम्प्रेक्षक द्वारा मांगी जाय, निर्दिष्ट समयावधि में प्रस्तुत करें जैसा कि इस सम्बन्ध में कथित परामर्शी/सम्प्रेक्षक लिखित रूप में सूचित करते हैं।

6.3 परामर्शी/सम्प्रेक्षक सम्पादित कार्यों के अभिलेखों के पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करेंगे तथा सम्प्रेक्षा के दौरान निष्कर्षों पर पहुँचने के आधार प्रस्तुत करेंगे। सूचनाएँ सामान्यतः निम्नानुसार एकत्र की जाएंगी :–

(अ) **आंकड़ा निवेदन**–आंकड़ों को प्राप्त करने की मुख्य विधि सम्बंधित नियंत्रित संस्था से आंकड़ा निवेदन के रूप में होगी। आंकड़ा निवेदन के माध्यम से प्राप्त किये गये आंकड़ों में वित्तीय एवं परिचालकीय सूचना, कार्यविधि, नियमावली, संगठनात्मक चार्ट, रिपोर्ट, योजनाएँ, पूर्वानुमान, अनुबन्ध/संविदाएँ, ई–मेल तथा वाइस मेल रिकार्ड्स एवं अध्ययनों से सम्बंधित सूचनाएँ सम्मिलित हैं। आंकड़े या तो इलेक्ट्रॉनिकी अथवा कागजी दस्तावेजों (आवश्यकता के अनुसार) के रूप में प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ब) **स्थल निरीक्षण**–परामर्शी/सम्प्रेक्षक, सम्बंधित नियंत्रित संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की सही व्याख्या सुनिश्चित करने के लिये स्थल निरीक्षण करेंगे। परामर्शी/सम्प्रेक्षक अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ कार्य स्थल की जानकारी सम्बंधी सामग्री एकत्र करेगा, क्रिया पद्धति का अवलोकन करेंगे तथा आमने-सामने साक्षात्कार के लिए एक अवसर देंगे जैसा कि सम्प्रेक्षा में प्रासंगिक हो।

(स) **साक्षात्कार**–परामर्शी/सम्प्रेक्षक दूरभाष तथा वीडियो कॉन्फ्रेन्स द्वारा व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार कर सकता है।

(द) चूँकि आंकड़े नियंत्रित संस्था से सम्प्रेक्षा के अन्तर्गत एकत्रित किये जाते हैं, परामर्शी/सम्प्रेक्षक, आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करेंगे। परामर्शी/सम्प्रेक्षक, ऐसी नियंत्रित संस्था द्वारा आयोग में फाइल कराये गये प्रकरणों के साथ ही साथ सार्वजनिक अभिलेखों सहित अनेक स्रोतों से एकत्र की गयी सूचना का विश्लेषण करेंगे। विकसित विवेचना हेतु जटिल विस्तारित सूचना तथा आँकड़ों का आधार एवं नमूना जाँच की आवश्यकता हो सकती है ताकि अधिनियम, नियमों, उनके अन्तर्गत बनायी गयी विनियमावली तथा आयोग द्वारा निर्गत आदेशों एवं निर्देशों का सम्भावित अनुपालन न करने की जाँच की जा सके।

(य) **तीसरे पक्ष की शिकायत**–अनुपालन न करने वाले क्षेत्रों को तीसरे पक्ष की शिकायत के माध्यम से भी चिन्हित किया जा सकता है, उदाहरणार्थ उपभोक्ता शिकायतें एवं रिपोर्टें, आदि।

6.4 परामर्शी/सम्प्रेक्षक के लिये आयोग को पूर्ण रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, जिनमें कम से कम निम्न बिन्दु निहित होंगे :—

(अ) सूचनीय कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली का वर्णन जिसमें सन्दर्भगत विषय में निर्दिष्ट सभी प्रकरण सम्मिलित होने चाहिए।

(ब) पद्धति एवं प्रक्रिया का वर्णन जिसमें सम्बंधित दस्तावेजीकरण एवं उत्तरदायी स्थितियों के चिन्हीकरण सहित, नियामक दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित हुआ हो।

(स) अनुपालन किस प्रकार हो, के लिए की गयी व्यवस्था, सामान्य अनुपालन प्रकरणों तथा उस प्रतिवेदन के लिये चिन्हित किन्हीं विशेष प्रकरणों की परिचर्चा।

(द) चिन्हित प्रकरण अनुपालन न किये गये तथा उनके सुधार हेतु नियंत्रित संस्था द्वारा प्रारम्भ की जा रही कार्यवाही का विवरण तथा कार्यवाही की पर्याप्तता का निर्धारण।

6.5 रिपोर्ट में परामर्शी/सम्प्रेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित एक विवरण सम्मिलित होगा जो कि इंगित करे कि :—

(अ) सन्दर्भगत विषय का अनुपालन परामर्शी/सम्प्रेक्षक द्वारा की गयी जाँच के निष्कर्षों एवं रिपोर्ट तैयार करने में किया गया है; और

(ब) रिपोर्ट परामर्शी/सम्प्रेक्षक के व्यवसायिक अभिमत को प्रतिबिम्बित करती है।

6.6 परामर्शी/सम्प्रेक्षक अपनी रिपोर्ट की एक प्रति नियंत्रित संस्था को प्रेषित करेंगे।

7—इस विनियमावली के अन्तर्गत प्राप्त किसी रिपोर्ट पर, इससे सम्बंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रित संस्था को अवसर दिये जाने के उपरान्त आयोग के मतानुसार, जैसा उचित समझा जाय, आयोग, लिखित आदेश द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन, जैसी स्थिति हो, के सम्बध मे संतुष्ट होने पर, उचित कार्यवाही कर सकता है।

8—कठिनाइयों को समाप्त करने का अधिकार :

इस विनियमावली के प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, समुचित कार्यवाही कर सकता है, जो अधिनियम का विरोधी न हो तथा आयोग के लिए आवश्यक अथवा कठिनाइयों को समाप्त करने के उद्देश्य से समीचीन प्रतीत होता हो।

9—संशोधन का अधिकार :

आयोग किसी भी समय इस विनियमावली के प्रावधानों को संशोधित कर सकता है।

10—आदेश एवं व्यवसायिक पद्धति सम्बंधी निर्देष :

अधिनियम के प्रावधानों के शर्ताधीन, आयोग समय-समय पर इस विनियमावली को लागू करने के सम्बंध में आदेश एवं पद्धति सम्बंधी निर्देश निर्गत कर सकता है।

आयोग के आदेश द्वारा,
(ह0) अस्पष्ट,
सचिव,
उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग।

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, LUCKNOW

No. UPERC/Secy/Regulation/2012-1502

Lucknow : dated January 7th, 2013

In exercise of the powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all the powers enabling it in that behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely :

1. SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT

1.1. These Regulations may be called the "Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Compliance Audit) Regulations, 2012".

1.2. These Regulations shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

1.3. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of the Government of Uttar Pradesh.

2. DEFINITIONS

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) "Regulated Entity" means Distribution Licensee or Generation Company or State Transmission Utility or Transmission Licensee or Trading Licensee or State Load Despatch Centre;

2.2 Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act; expressions used herein but not specifically defined in these regulations or in the Act but defined under any law, passed by a competent legislature and applicable to the electricity industry in the State shall have the meaning assigned to them in such law; expressions used herein but not specifically defined in the regulations or in the Act or any law passed by a competent legislature shall have the meaning as is generally assigned to them in the electricity industry.

2.3 The original regulation will be in English and it will be translated in Hindi. In case of any dispute the English Version shall prevail.

3. COMPLIANCE AUDITS

3.1. The Commission may, at any time, conduct audit of regulated entity for verifying their compliance with the Act, Rules, Regulations made thereunder, orders and directions issued by the Commission.

3.2. The Commission may, by order, empanel Consultants / Auditors required to assist the Commission in the discharge of these functions on the terms and conditions as deemed fit.

3.3. The Commission may either appoint Consultants / Auditors empanelled with it for an audit or go through the process of fresh selection, if required for a specific need.

3.4. The Commission may also consider the single source selection of Consultants / Auditors in exceptional cases where it is appropriate.

3.5. The Commission, before initiating an audit, will frame the Terms of Reference which will detail out the specific outputs that are to be provided by the Consultant / Auditor in relation to the task, the timeframe in which the task has to be completed and other terms relevant to the task.

3.6. The Commission shall assign, through an order, the specific task of audit to the Consultant / Auditor based on the Terms of Reference framed by it before the audit of the regulated entity starts.

4. REQUIREMENT OF CONSULTANT/AUDITOR

Consultants/Auditors shall provide professional, objective and impartial advice and at all times hold the Commission's interests paramount, without any consideration for future work, and that in providing advice they avoid conflicts with other assignments and their own corporate interests. Consultants / Auditors shall not be hired for any assignment that would be in conflict with their prior or current obligations to other clients/assignments, or that may place them in a position of being unable to carry out the assignment in the best interest of the Commission. Without limitation on the generality of the foregoing, Consultants / Auditors shall be engaged keeping in view the circumstances set forth below:

(i) A Consultant or an Auditor engaged for a particular audit must not hold office or have a commercial or any other interest in the Regulated Entity for a period of two (2) years preceding the engagement by the Commission.

(ii) While conducting an audit, the Consultant or Auditor would be expected to do so honestly, fairly, professionally, independently and objectively and exercise a standard of skill, care and diligence that would be reasonable to expect of a person who is skilled, and who has substantial experience, in the provision of services the same as or similar to those to be provided by the Auditor.

(iii) The selected Consultant or Auditor would be required to provide a written declaration to the Commission that he has no conflict of interest while performing the tasks and functions assigned to him under these Regulations nor by its nature, may be in conflict with another assignment of the Consultant or Auditor.

(iv) Depending upon the requirement of the specific task, the Commission may specify minimum educational qualification of the Consultant/Auditor. Consultant/Auditor may be a firm or a person with qualification of CA/ICWA/MBA (Finance) if the task deals with financial aspects or minimum qualification could be LLB, if the task deals with legal aspects or the minimum qualification could be specified as Graduation in Engineering in relevant subject for the specific task. In all cases minimum 10 years experience in the relative field shall be necessary.

(v) The remuneration / fee payable to the Consultant / Auditor may be specified by the Commission in the Terms of Reference in terms of UPERC (Appointment of Consultants) Regulations, 2000 and its amendments.

5. EXPENSES

(i) All expenses of, and incidental to, any audit made under these regulations shall be paid by the Commission and thereafter such expenses shall be defrayed by the regulated entity in favour of the Commission within a month.

(ii) The regulated entity shall be permitted to claim the said expenses as follows:

(*a*) Distribution Licensees or State Transmission Utility or Transmission Licensees may claim the said expenses as pass through in Aggregate Revenue Requirement;

(*b*) Generation Companies or Transmission Licensees (who do not file petition of Annual Revenue Requirement) may claim the said expenses while filing application for determination/adoption of tariff;

(*c*) Trading Licensees may claim the said expenses as increase in trading margin with the approval of Commission; and

(*d*) State Load Despatch Centre may claim the said expenses as pass through in its annual budget approval.

6. METHODOLOGY

6.1. The Consultant/Auditor may, at any time, and shall, on being directed so to do by the Commission, cause an inspection to be made, by one or more of his officers, of any regulated entity and his books of account, registers and other documents in its custody, and to investigate into the affairs of the regulated entity in a manner as deemed fit by the Commission:

Provided that the regulated entity shall be given a reasonable advance notice not less than 15 days in writing of such inspection and / or investigation.

6.2. It shall be the duty of every regulated entity, to produce before the Consultant/Auditor, all such books of account, registers and other documents and to furnish him with any statement and information relating to the affairs of the regulated entity, as the said Consultant / Auditor may require of him within such time as the said Consultant / Auditor may intimate in writing in this behalf.

6.3. The Consultant / Auditor shall collect sufficient amount of evidence to document the work performed and to serve as the basis for the conclusions reached during the course of the audit. The information gathered will be generally through:

(*a*) Data Requests--The primary method of obtaining data shall be through data requests to the concerned Regulated Entity. The data obtained through data requests could include financial and operational information, procedures manuals, organization charts, reports, plans, forecasts, agreements / contracts, email and voice mail records, and studies. The data may be obtained either electronically or as paper documents (depending upon the requirement).

(*b*) Site Visits–The Consultant/Auditor shall conduct site visits to ensure accurate interpretation of the information provided by the concerned regulated entity. The Consultant / Auditor shall *inter alia* collect materials on-site, observe processes, and offer an opportunity to conduct face-to-face interviews, as relevant to the audit.

(*c*) Interviews–The Consultant / Auditor may conduct interviews in person, over the phone and by video conferencing.

(*d*) As the data are collected from the regulated entity under audit, the Consultant / Auditor shall compile and analyze the data. The Consultant / Auditor shall analyze information gathered from multiple sources, including filings made before the Commission by such regulated entity, as well as from public records. Advanced analysis may require the creation of complex spreadsheets and databases, and the use of sampling to test for potential non-compliance of the Act, Rules, Regulations made thereunder, orders and directions issued by the Commission.

(*e*) Third Party Complaints--Areas of non-compliance may also be identified through third party complaints, for example, customer complaints, reports, etc.

6.4. The Consultant/Auditor will be required to provide full reports to the Commission, which shall contain, as a minimum:

(a) a description of the reporting scope and methodology, which should include all matters specified in the Terms of Reference;

(b) a description of the systems and procedures that have been established to comply with regulatory obligations, including the identification of relevant documentation and responsible positions;

(c) a discussion of how compliance is managed, addressing generic compliance issues and any specific issues identified for that report;

(d) details of any non-compliance identified and the actions being undertaken by the Regulated Entity to rectify them, and an assessment of the adequacy of the actions.

6.5. The report shall include a statement, signed by the Consultant/Auditor, which states that:

(a) the Terms of Reference have been complied with by the Consultant/Auditor in making findings and in preparing the report; and

(b) the report reflects the professional opinion of the Consultant/Auditor.

6.6. The Consultant / Auditor shall supply to the regulated entity a copy of his report.

7. On receipt of any report under these Regulations, the Commission may, after giving such opportunity to the regulated entity, to make a representation in connection with the report as in the opinion of the Commission, seems reasonable, by order in writing take appropriate action under the Act on being satisfied regarding the non-compliance or contravention, as the case may be.

8. POWER TO REMOVE DIFFICULTIES

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by general or special order, take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

9. POWER TO AMEND

The Commission may at any time, amend any provisions of these regulations.

10. ORDERS AND PRACTICE DIRECTIONS

Subject to the provisions of the Act, the Commission may from time to time issue orders, and practice directions in regard to the implementation of these regulations.

By order of the Commission,

Sd. (ILLEGIBLE),

Secretary,

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission.

पी0एस0यू0पी0–40 असाधारण गजट–18-03-2013–1597 प्रतियां (डी0टी0पी0 / आफसेट)।